कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक राजस्थान, जयपुर

कमाक :एफ 14 ( )2015/एफसीए/प्रमुवसं/4547-60 दिनांकः- 21.7.15

मुख्य वन संरक्षक,
जयपुर/अजमेर/जोधपुर/भरतपुर/बीकानेर/
कोटा/उदयपुर/(वन्यजीव) जोधपुर/(वन्यजीव)
भरतपुर/(वन्यजीव) उदयपुर/(वन्यजीव)जयपुर/
(वन्यजीव) कोटा/(वन्यजीव) सरिस्का मु0-अलवर ।

विषयः-**E-green watch** पर एफ.सी.ए. प्रकरणों को अपडेट करने के संबंध में।

संदर्भः-इस कार्यालय का सम संख्यक पत्रांक 3996-4008 दि. 7.7.2015

15

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र द्वारा एफ.सी.ए. प्रकरणों के लिए **E-green watch portal** पर अपडेट करने के निर्देश प्रसारित किये गये थे। **E-green watch** में केस रजिस्टर होने, प्रोजेक्ट के 2-3 मण्डलों के शामिल होने में **E-green watch** पर उक्त सुविधा वर्तमान में उपलब्ध नहीं होने के कारण इस संबंध में पर्यावरण, वन एंव जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार से वार्ता की गयी ।

पर्यावरण, वन एंव जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा इस संबंध में निर्देश दिये गये है कि वर्तमान में **Forest clearance.nic.in** साईट पर सभी एफ.सी.ए. प्रकरणों को अपडेट करने की सुविधा है। अतः पूर्व में संदर्भित पत्र द्वारा प्रसारित निर्देशों को वापस लेते हुए निर्देश दिये जाते है कि वर्ष 1980 से वन संरक्षण अधिनियम के अन्तर्गत अंतिम स्वीकृति प्राप्त प्रकरणों को **Forest clearance.nic.in** साईट पर आवश्यक रूप से दर्ज करें।

Forest clearance.nic.in साईट पर वर्तमान में 15 जुलाई, 2014 से पूर्व के 1111 प्रकरण दर्ज है यदि आपके मण्डल का प्रकरण दर्ज नहीं है तो उसे नये सिरे से दर्ज किया जावें । यदि प्रकरण वन संरक्षक/मुख्य वन संरक्षक स्तर पर स्वीकृत हुआ है तो उन प्रकरण को नये सिरे से दर्ज करना है। प्रकरणों की सम्पूर्ण सूचना अब 20 दिवस में साईट पर दर्ज करावें। सूचना भरते समय यह ध्यान रखा जावें कि सूचना सही एवं सत्य है, तब ही **Save and lock mode** पर जावें। उक्त प्रकिया को निरंतर किया जाना सुनिश्चित करें।

एफ.सी.ए. की साईट खोलने के बाद **state portal** में जावें एवं उसके बाद ही **Login** करें । अन्य **procedure** जानने के लिए **download caption** की मदद लेवें।

Forest clearance.nic.in साईट के **Password & user-id** पूर्व में एफ.सी.ए. शाखा से दिये जा चुके है फिर भी यदि इसमें कोई कठिनाई हो तो इस कार्यालय की एफ.सी.ए. शाखा के **Email-ccf.fca.rajasthan@gmail.com** पर निवेदन करने पर प्राप्त किये जा सकते है।

भवदीय

(डॉ. एस.एस.चौधरी)
प्रधान मुख्य वन संरक्षक (HoFF)
राजस्थान, जयपुर

....PTO

E/: Office documents/ DCF,FCA

कमाक :एफ 14 ( )2015/एफसीए/प्रमुवसं/ दिनांकः–

प्रतिलिपी निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. अति0 प्रधान मुख्य वन संरक्षक (केन्द्रीय) पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षैत्रीय कार्यालय (मध्यक्षैत्र) पंचम तल, केन्द्रीय भवन, सेक्टर–एच, अलीगंज, लखनऊ–226024 (उ0प्र0)
2. अति0 प्रधान मुख्य वन संरक्षक (केम्पा), राज0, जयपुर ।
3. अति0 प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं CWLW, राज0, जयपुर ।
4. अति0 प्रधान मुख्य वन संरक्षक (IT), राज0, जयपुर ।
5. समस्त उप वन संरक्षकगण ।

/

अति0 प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
प्रोटेक्शन एंव नोडल अधिकारी एफसीए,
राजस्थान, जयपुर

E/: Office documents/ DCF,FCA